न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास—दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या —59 / 2019

अपीलान्ट बनाम रेस्पोडेन्ट्स

नेमाराम पुत्र रूपाराम जाति माली निवासी मेडतासिटी तहसील मेडता जिला नागौर राज0

1. छोटुलाल पुत्र स्व. रूपाराम
2. बिदामी पुत्री स्व. रूपाराम
3. रूकमा पुत्री स्व. रूपाराम
4. कमला पुत्री स्व. रूपाराम
5. गंगा पुत्री स्व. रूपाराम
6. शारदा पुत्री स्व. रूपाराम
7. तीजा पत्नी स्व. रूपाराम
8. प्रेमलता पत्नी स्व. मोतीलाल
9. घनश्याम उर्फ गणेश पुत्र स्व. मोतीलाल
10. सुनिल पुत्र स्व. मोतीलाल
11. जितेन्द्र पुत्र स्व. मोतीलाल
12. पुजा पुत्री स्व. मोतीलाल
13. संतोष पुत्री स्व. मोतीलाल
14. गुड्डी पुत्री स्व. मोतीलाल
15. मांगीलाल पुत्र आसुलाल
16. मोतीलाल पुत्र जगनाथ
17. पुखराज पुत्र जगनाथ
18. जंवरीलाल पुत्र जगनाथ
19. रमेशचन्द पुत्र जगनाथ
20. सरेश पुत्र रामसिंह
21. चिमनसिंह पुत्र रामसिंह
22. सविता पुत्र रामसिंह
    सभी जाति माली, निवासीगण मेडतासिटी, तहसील मेडता, जिला नागौर
23. शांतीलाल पुत्र उदयराज चौपडा
24. कुशालराज पुत्र पारसमल
25. रमणीक पुत्र पारसमल
26. प्रवीण पुत्र शांतीलाल
    समस्त जाति महाजन निवासीगण मेडतासिटी तहसील मेडता जिला नागौर
27. महेन्द्रसिंह पुत्र डूंगरसिंह जाति राजपूत निवासी कात्यासनी तहसील मेडता जिला नागौर
28. तहसीलदार मेडता जिला नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर

कलक्टर, नागौर

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री धर्माराम खुड़खुड़िया।
2. रेस्पोडेन्ट्स संख्या 15 से 16 की ओर से वकील श्री गोपालराम गोदारा, रेस्पोडेन्ट संख्या 28 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 14, 17 से 27 उपस्थित नहीं।

निर्णय **दिनांक : 05/03/2020**

अपीलांट ने यह अपील 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा ग्राम मेडता तहसील मेडता का म्यूटेशन संख्या 4876 जो तहसीलदार मेडता द्वारा दिनांक 07.07.2015 को स्वीकृत किया गया है, से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 01.10.2019 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 14, 17 से 27 ने हस्तगत प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट को उक्त नामान्तरकरण जैर अपील की कोई जानकारी नहीं थी, हाल ही में रेस्पोडेन्ट्स मनमर्जी से जबरन कब्जा करने का प्रयास करने व कथित तर्कनामा के आधार पर नामान्तरकरण सन 2015 में हो रखा होना बताया तब अपीलांट ने तुरन्त पता करवाया व नकल का आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 21.08.2018 को नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त हुई जिनको देखने व पढाने पर पुरी जानकारी हुई तत्पश्चात् अपील करने की कानूनी राय मिलने पर अपील की तैयारी की व दिनांक 31.08.2018 को अपील पेश की जिसमें त्रुटिवश दोनो नामान्तरकरणों की शामिल अपील पेश कर दी गयी, जिस त्रुटि को दुरूस्त किये जाने योग्य होने से पूर्व में प्रस्तुत अपील संख्या 106/18 की बहस से पूर्व ही नामान्तरकरण संख्या 4876 के विरूद्ध पृथक से अपील पेश की जा रही है उपरोक्त परिस्थितियों के वर्तमान में अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्याय संगत है जिस हेतु आवेदन पत्र मय शपथ पत्र पेश करने का कथन करते हुए न्याय हित में देरी माफ कर अपील को अन्दर मियाद शुमार करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर विचार किया गया। प्रकरण में अपीलांट के मयाद प्रार्थना पत्र पर न्यायहित में विचार करते हुए अपीलान्ट की अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 14 एक ही परिवार के सदस्य है जो स्व. रूपारामजी के वंशज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 15 से 22 रिश्ते मे होने से इनका भी

कुछ खसरान की खातेदारी में शामिल नाम है इसके अलावा रेस्पोडेन्ट संख्या 23 से 27 भी कुछ खसरान में शामिल खातेदार है। मौजा मेडता की सरहद में खसरा नम्बर 1898 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1900 रकबा 0.01 हैक्टेयर बेरा, खसरा नम्बर 1903 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1904 रकबा 0.01 हैक्टेयर गे.मु., खसरा नम्बर 2197 रकबा 0.03 हैक्टेयर गे.मु., खसरा नम्बर 2199 रकबा 1.54 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2202 रकबा 0.01 हैक्टेयर गे.मु., खसरा नम्बर 2203 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4249 रकबा 2.71 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4250 रकबा 1.56 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4251 रकबा 2.68 हैक्टेयर, कुल रकबा 9.39 हेक्टेयर तथा खसरा नम्बर 4307 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4308 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4309 रकबा 1.93 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4310 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4311 रकबा 2.20 हैक्टेयर कुल रकबा 4.98 हेक्टेयर तथा खसरा नम्बर 3818 रकबा 0.01 हैक्टेयर गे.मु., खसरा नम्बर 3819 रकबा 0.01 हैक्टेयर गे.मु., खसरा नम्बर 3820 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3821 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3822 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3823 रकबा 1.99 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4245 रकबा 3.41 हैक्टेयर कुल रकबा 6.26 हेक्टेयर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है।

उपरोक्त जमीन के खाता संख्या 1275 में अपीलांट व रेस्पोडेन्टान संख्या 1 से 23 की संयुक्त खातेदारी व खाता संख्या 908 में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 14 व 23 से 27 की संयुक्त खातेदारी है। उक्त खसरान का रेकर्ड अनुसार आज तक कोई बंटवाडा नहीं हुआ है लेकिन मौके पर अलग-अलग काश्त करते है जिनमें अलग-अलग कब्जा चला आ रहा है लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 ने हक तर्कनामा रेस्पोडेन्ट संख्या 8 से 14 के पक्ष में निष्पादित किया है जो गलत किया है। क्योंकि कानूनन किसी सहखातेदार को किसी दूसरे सहखातेदार के हक में अपना हिस्सा तर्क करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि कानून की मंशा यह है कि कोई भी सहखातेदार यदि अपना हिस्सा तर्क करता है तो बाकी सभी सहखातेदार होते है उन सबके हक में होगा। जबकि इसमें रूपाराम की पत्नि, रूपाराम का पुत्र छोटुराम रूपाराम की पांचों पुत्रियों ने मिलकर रूपाराम के लडके मोतीराम जिसका स्वर्गवास हो चुका है। उनके उतराधिकारियों के पक्ष में तर्कनामा निष्पादित किया है, जो कानूनन गलत किया है। उक्त हक तर्कनामा के आधार पर जो हस्तगत नामान्तकरण दर्ज किया गया है, कानूनन गलत होने से काबिल निरस्त के है।

उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा मोतीलाल के उतराधिकारियों के पक्ष में जो हक तर्कनामा कानून के विरूद्ध किया है जिसके आधार पर मोतीराम के उतराधिकारियों ने अपना हिस्सा एक आदमी के नाम वापिस किया है। जो स्वतः काबिल निरस्त के है। क्योंकि नामान्तरकरण संख्या 4875 कानून के विरूद्ध है जिसके विरूद्ध अपील पेश करते समय तकनीकी त्रुटि के साथ नामान्तरकरण संख्या 4876 की भी शामिल अपील पेश कर दी, मगर तकनीकी त्रुटि दूर करने के लिए पूर्व अपील संख्या 106/18 पेश करने की तारीख से उक्त अपील पेश करने की तारीख को मियाद अवधि से अलग करते हुए मियाद

आवेदन के साथ नामान्तरकरण संख्या 4876 के विरूद्ध पृथक से यह अपील पेश की गई है।

उपरोक्त दोनो विवादित नामान्तरकरण संख्या 4876 व 4875 में किन–किन खसरा नम्बरान पर हक तर्ककर्तागण का कब्जा काश्त है, यह भी कही स्पष्ट नहीं किया है ना ही नामान्तरकरण में हिस्से का खुलासा किया गया है। वास्तविकता में मौके पर अलग–अलग कब्जा काश्त रहता चला आ रहा है। जिसको नजरअंदाज करते हुए जो तर्कनामा किया गया है वो कानून के विरूद्ध व काबिल निरस्त के है। उपरोक्त बताये सभी खसरान में 28 खातेदार है जिनमें किसका कौनसा खसरा नम्बर है? यह भी कही स्पष्ट नहीं किया गया है। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 ने अपने तर्कनामा में सभी खसरान नहीं लिये है केवल 16 खसरान में अपना हिस्सा मोतीराम के उतराधिकारियों के पक्ष में तर्क किया है, जो प्रथम दृष्ट्या गलत व विधि विरूद्ध है। इसलिए उपरोक्त दोनो नामान्तरकरण जैर अपील का कोई औचित्य नहीं है जिससे दोनो नामान्तरकरण खारिज किये जाने योग्य होने का का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विवादित नामान्तरकरण संख्या 4876 दिनांक 7.7.2015 द्वारा तहसीलदार मेडता को खारिज किया जाकर रेकर्ड की पूर्व की स्थिति बहाल करने का आदेश फरमावे एंव अन्य न्यायोचित आदेश जो लाभार्थ अपीलांट हो प्रदान कराने का निवेदन किया। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2014(1) पेज 509 से 513 प्रस्तुत किया।

वकील रेस्पोडेन्ट श्री गोपालराम गोदारा व राजपैरोकार ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया कि म्यूटेशन जैर अपील उप पंजीयक मेड़ता से पंजीबद्ध हकर्तक के आधार पर स्वीकृत किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलान्ट को हकर्तक पर आपत्ति है, तो उन्हे इस संबंध में सक्षम सिविल न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिए। पंजीबद्ध हकर्तक की वैधता के संबंध में न्यायालय हाजा को सुनवाई का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होने का कथन करते हुऐ अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली एवं वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का सस्मान अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में उप पंजीयक मेड़ता के पंजीयन दिनांक 07.04.2015 पु.सं. 1 जि.सं. 761 पृ.सं. 27 क्रम संख्या 2015–1876 पर पंजिबद्ध हकतर्क के अनुसार पटवारी मेड़ता द्वारा ग्राम मेड़ता का नामान्तरकरण संख्या 4876 भरा गया, जिसकी भू–अभिलेख निरीक्षक मेड़ता द्वारा जॉच उपरान्त तहसीलदार मेड़ता द्वारा नामान्तरकरण संख्या 4876 दिनांक 07.07.2015 को स्वीकृत किया गया। इस प्रकार पंजीबद्ध हकतर्कनामा के आधार नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत किया गया है, जो विधि सम्मत है। नामान्तकरण प्रकिया अन्तर्गत जिस पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर नामान्तकरण स्वीकृत/अस्वीकृत करने बाबत कार्यवाही की जाती है, उसमें उस न्यायालय/अधिकारी को विधि अनुसार पंजीबद्ध दस्तावेज की वैधता को प्रश्नगत करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। नामान्तरकरण एक संक्षिप्त प्रकिया है, इससे

कलक्टर, नागौर

किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रोधभूत नहीं होते है। अपीलान्ट के अनुसार यदि हकतर्कनामा गलत आधारों अथवा विधि विरूद्व तरीके से निष्पादित किया गया है, तो ऐसे पंजीबद्ध दस्तावेज के वैधता के संबंध में अपीलान्ट सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतन्त्र है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेड़ता द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में उचित होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेड़ता को उनका मूल नामान्तरकरण लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.03.17 12:51:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: